



2026: AHC: 51581

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3073/2026

अनुराग कुमार गौड़याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता: गौरव प्रताप सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव प्रताप सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 27.02.2026 को इस याचिका पर विचार किया था और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मामले को आज के लिए नियत किया गया था। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा निर्देश उपलब्ध करा दिए गए हैं, वह प्रस्तुत करते हैं कि वे निर्देशों से पूरी तरह सुसज्जित हैं और निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं और वह कोई और शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका को नए स्तर पर तय किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि पीएसी की 26वीं वाहिनी, डी दल, गोरखपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात रहते हुए, उन्हें प्रतिवादी संख्या 3, सेनानायक 26वीं वाहिनी, पीएसी, गोरखपुर के आदेश दिनांक 15.12.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 17(1)(क) के प्रावधानों के तहत निलंबन के अधीन रखा गया है।

4. इसे चुनौती देते हुए रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. आदेश पारित होने के बाद, आज सेनानायक 26वीं वाहिनी, पीएसी, गोरखपुर के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 12.03.2026 के निर्देश प्रेषित किए गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।
6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निलंबन आदेश को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि निलंबन आदेश में निहित आरोपों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता की पत्नी-शिकायतकर्ता द्वारा रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि विवाह के बाद, रिट याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को अपने घर में रहने की अनुमति नहीं दी और वह शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करता था और उसे अलग रहने के लिए मजबूर करता था। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित निलंबन आदेश 15.12.2025 को पारित किया गया था लेकिन आज तक कोई आरोप-पत्र तामील नहीं किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि उन्हीं आरोपों पर रिट याचिकाकर्ता को पहले ही दंडित किया जा चुका है और 1991 की नियमावली के नियम 14(2) के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 27.06.2025 को एक परिनिंदा प्रविष्टि लगाई गई थी। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, भले ही रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही हो, उन्हें निलंबन के अधीन नहीं रखा जा सकता।
7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का अभ्यस्त है, इसलिए निलंबन आदेश को अवैध नहीं कहा जा सकता।
8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
9. प्रतिवादी संख्या तीन द्वारा पारित निलंबन आदेश दिनांक 15.12.2025 इस प्रकार है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"आदेश

आरक्षी 210574663 अनुराग गौड़, डी दल, 26 वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुध्यात है, को एतद्वारा उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 17(1) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है:-

'आवेदिका गुड़िया गोड पुत्री महेन्द्र प्रसाद गोड निवासी ग्राम नटवा, पोस्ट डुम्मरभार, थाना रवीन्द्रनगर, जनपद-कुशीनगर से शादी करने के बाद रखने से इन्कार करने, आवेदिका के साथ मारपीट करने, तलाक देने हेतु दबाव बनाने आदि के आरोप में।'

निलम्बन अवधि में आरक्षी 210574663 अनुराग गौड़ को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-दो से चार के मूल नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जायेगा कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब आरक्षी 210574663 अनुराग गौड़ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि वह अन्य रोजगार/व्यापार में लिप्त नहीं है।

आरक्षी 210574663 अनुराग गौड़ निलम्बन अवधि में वाहिनी मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे।

संख्या: न-62/2025

दिनांक दिसम्बर 2025

सेनानायक,

26वीं वाहिनी पीएसी,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गोरखपुर।"

10. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 27.06.2025 को परिनिंदा प्रविष्टि का दंड देने वाला आदेश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"आदेश

इस कार्यालय के कारण बताओ नोटिस संख्या: द-41/2025, दिनांक 03.06.2025 के द्वारा आरक्षी 210574663 अनुराग कुमार गोड़ के विरुद्ध उ०प्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख से दण्डित किये जाने हेतु निर्गत किया गया था, जिसमें यह आरोप था कि जब यह वर्ष 2024 में 26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर के डी दल में आरक्षी पीएसी के पद पर नियुक्त थे तो इनके द्वारा दिनांक 08.08.2024 को बुढ़िया माता मन्दिर गोरखपुर में गुड़िया गोड़ पुत्री महेन्द्र गोड़ निवासिनी डम्भरभार (नटवा टोला) रवीन्द्रनगर जनपद कुशीनगर से विवाह किया गया। दिनांक 08.08.2024 को ही इनके द्वारा यह बहाना बनाया गया कि खाते से लोन जो प्रतिमाह 26,000/- कटता है, एक दो महीने में कमरे का व्यवस्था करने के बाद अपने पास रख लूंगा बताकर गुड़िया गोड़ को उसके मौसी के घर (नाना-नानी के घर) छोड़ दिया गया। माह दिसम्बर-2024 के बाद इनके द्वारा गुड़िया गोड़ का मोबाइल नं० ब्लॉक कर दिया गया। दिनांक 10.05.2025 को गुड़िया गोड़ और मौसी धर्मवती देवी, आपके घर गयी जहां आपके तथा आपके परिवार द्वारा गुड़िया गोड़ को मारा-पीटा गया, चोट लगने के कारण गुड़िया गोड़ जिला अस्पताल कुशीनगर में दिनांक 10.05.2025 से दिनांक 14.05.2025 तक भर्ती थी। आपके द्वारा विवाह उपरान्त गोड़ को न केवल त्याग दिया गया, बल्कि उसके साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न भी किया। वादिनी तथा उसके माता पिता, साक्षीगण, मेडिकल रिपोर्ट, काल रिकार्डिंग और अन्य सामग्री से यह पुष्टि होती है कि इनका आचरण गम्भीर, अनैतिक और अपराधिक प्रवृत्ति का है। प्रश्नगत प्रकरण में दलनायक, बी दल, 26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर से जाँच कराई गयी। जाँचकर्ता अधिकारी दलनायक, बी दल, 26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर द्वारा जाँच करके जांच आख्या दिनांकित 18.05.2025 प्रेषित की गयी है जिसमें इन्हें उक्त कृत्य के लिये पूर्णरूपेण दोषी पाया गया है। पीएसी जैसे अनुशासित बल में नियुक्त रहते हुये इनका यह कृत्य इनके कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता और स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उक्त नोटिस को आरक्षी 210574663 अनुराग कुमार गोड़ द्वारा दिनांक 07.06.2025 को प्राप्त करते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकित 19.06.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि, "प्रार्थी की शादी दिनांक 08.08.2022 को गुड़िया गोड़ पुत्री महेन्द्र गोड़ के साथ बुढ़िया माता मंदिर गोरखपुर में हुआ है। गुड़िया गोड़ अकेले घर से निकल कर देर रात तक घूमना, फोन पर इधर-उधर बात करती थी। पूछने पर प्रार्थी के साथ गाली-गलौज एवं क्रूरता का व्यवहार करती थी तथा प्रार्थी को अपमानित करती रहती थी। गुड़िया गोड़ द्वारा बार-बार यह धमकी दिया जाता है कि प्रार्थी (अनुराग कुमार गोड़) को काटकर ड्रम में भर दिया जाएगा। दिनांक 10.05.2025 को गुड़िया, धर्मवती (गुड़िया की मौसी) विकास एवं अभिषेक गोड़ (गुड़िया के भाई) प्रार्थी के घर जाकर प्रार्थी के माता-पिता से मारपीट किया गया एवं पूरे परिवार को हमेशा के लिए नौंद में सुला देने की धमकी दी गई। प्रार्थी के माता शोभा देवी का डाक्टरी परीक्षण कराया गया है। दिनांक 10.05.2025 को प्रार्थी के घर से लौटने के बाद उक्त गुड़िया गोड़ ने स्वयं मिथ्या व कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर थाना कोतवाली पडरौना, कुशीनगर में प्रार्थी एवं उसके परिवार पर धारा 85 व 115 (2) बी०एन०एस० का मुकदमा लिखवा दी है। प्रार्थी व गुड़िया गोड़ की शादी दिनांक 08.08.2022 को हो गई थी, परन्तु प्रार्थी को परेशान करने के नियत से गुड़िया गोड़ द्वारा दिनांक 17.04.2025 को एक शिकायती पत्र ए०डी०जी महोदय गोरखपुर और एक शिकायती पत्र महोदय आपको दिया गया, जिसमें यह बताय गया कि प्रार्थी (अनुराग कुमार गोड़) गुड़िया गोड़ से शादी नहीं कर रहा है, जबकि गुड़िया गोड़ अपने दिए बयान में खुद स्वीकार किया कि हम दोनों लोगों की शादी हो चुका है, जो गुड़िया गोड़ शातिर किस्म की महिला एवं उसकी कुटील मानसिकता को दर्शाता है। गुड़िया गोड़ द्वारा प्रार्थी के खिलाफ जो भी साक्ष्य दिया गया है, वह सब सोशल मीडिया से लिया गया है। जिस साक्ष्य में छेड़छाड़ संभव है, जबकि उसके द्वारा दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र/शिकायती पत्र एवं मीडिया साक्ष्यों में काफी विरोधाभास है। गुड़िया गोड़ द्वारा बार-बार प्रार्थी को जान से मारने की धमकी, उसके चरित्रहीनता के कारण प्रार्थी ने परिवार न्यायालय गोरखपुर में दिनांक 10.01.2025 को विवाह विच्छेद का मुकदमा नंबर 56/25, अनुराग कुमार गोड़ बनाम गुड़िया गोड़ मुकदमा दाखिल है। जिसमें गुड़िया गोड़ उपस्थित होकर पैरवी कर रही है। प्रार्थी व गुड़िया गोड़ का मामला पारिवारिक मामला है। प्रार्थी अपने सेवा काल में अपने कार्य द्वारा अपने कार्यलोप द्वारा कोई अनैतिक, अनुशासनहीनता अथवा सेवा काल में कोई कदाचार नहीं किया गया है और ना ही गुड़िया गोड़ का मानसिक उत्पीड़न किया गया है और ना ही उसके साथ मारपीट किया गया है। गुड़िया गोड़ द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए सारे आरोप मनगढ़त, मिथ्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व कपोल कल्पित हैं। यह उसके कुटिल मानसिकता का द्योतक है। गुड़िया गोड़ द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए सारे आरोप निराधार है प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस वापस लिया जाना न्याय संगत है।"

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या दिनांकित 18.05.2025 एवं अन्य अभिलेखों तथा आरक्षी 210574663 अनुराग कुमार गोड़ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांकित 19.06.2025 का परिशीलन किया गया तो पाया गया कि आरक्षी अनुराग कुमार गोड़ द्वारा दिनांक 08.08.2024 को गुड़िया गोड़ से विवाह किया गया था। विवाह उपरान्त उक्त आरक्षी ने न केवल गुड़िया गोड़ को त्याग दिया बल्कि उसके साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया जिसकी पुष्टि उसके माता-पिता, साक्षीगण, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल रिकार्डिंग द्वारा होती है। आरक्षी अनुराग कुमार गोड़ द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दोषमुक्त किये जाने सम्बन्धी जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, जो आधारहीन एवं बलहीन हैं। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

अतः आरक्षी 210574663 अनुराग कुमार गोड़ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुये उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(2) के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस सं०:- द-41/2025 दिनांक 03.06.2025 की पुष्टि करते हुये प्रस्तावित परिनिन्दा प्रविष्टि को चरित्र पंजिका में अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

वर्ष-2024

"जब यह वर्ष 2024 में 26 वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर के डी दल में आरक्षी पीएसी के पद पर नियुक्त थे तब इनके द्वारा दिनांक 08.08.2024 को बुढ़िया माता मन्दिर गोरखपुर में गुड़िया गोड़ पुत्री महेन्द्र गोड़ निवासिनी उन्मरभार (नटवा टोला) रवीन्द्रनगर जनपद कुशीनगर से विवाह किया गया। दिनांक 08.08.2024 को ही इनके द्वारा यह बहाना बनाया गया कि खाते से लोन जो प्रतिमाह 26,000/- कटता है, एक दो महीने में कमरे का व्यवस्था करने के बाद अपने पास रख लूंगा बताकर गुड़िया गोड़ को उसके मौसी के घर (नाना-नानी के घर) छोड़ दिया गया। माह दिसम्बर-2024 के बाद इनके द्वारा गुड़िया गोड़ का मोबाइल नं० ब्लाक कर दिया गया। दिनांक 10.05.2025 को गुड़िया गोड़ और मौसी धर्मवती देवी, इनके घर गयी, जहां यह तथा इनके परिवार द्वारा गुड़िया गोड़ को मारा-पीटा गया, चोट लगने के कारण गुड़िया गोड़ जिला अस्पताल कुशीनगर में दिनांक 10.05.2025 से दिनांक 14.05.2025 तक भर्ती थी। इनके द्वारा विवाह उपरान्त गुड़िया गोड़ को न केवल त्याग दिया गया, बल्कि उसके साथ मारपीट व

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मानसिक उत्पीड़न भी किया। वादिनी तथा उसके माता पिता, साक्षीगण, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल रिकार्डिंग और अन्य सामग्री से यह पुष्टि होती है कि इनका आचरण गम्भीर, अनैतिक और आपराधिक प्रवृत्ति का है। प्रश्नगत प्रकरण में दलनायक, बी दल, 28वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर से जाँच कराई गयी। जाँचकर्ता अधिकारी दलनायक, बी दल, 26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर द्वारा जाँच करके जांच आख्या दिनांकित 18.05.2025 प्रेषित की गयी है जिसमें इनको उक्त कृत्य के लिये पूर्णरूपेण दोषी पाया गया है। यह पीएसी जैसे अनुशासित बल में नियुक्त रहते हुये इनका यह कृत्य इनके कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जिसकी घोर निन्दा की जाती है।"

पत्र संख्या: द-41/2025

दिनांक: जून 27/2025

सेनानायक,

26 वीं वाहिनी पीएसी,

गोरखपुर।"

11. प्रथम दृष्टया, न्यायालय की राय में, चूंकि रिट याचिकाकर्ता को 15.12.2025 को निलंबन के अधीन रखा गया था और आज तक कोई आरोप-पत्र जारी या तामील नहीं किया गया है, और आगे रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर के न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.01.2025 को एक विवाह विच्छेद याचिका (मुकदमा संख्या 56/2025) प्रस्तुत की गई है जो लंबित है, और रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे पहले भी लगभग समान आरोपों के संबंध में दंडित किया जा चुका है, निलंबन आदेश को जारी रखना न्यायसंगत नहीं है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). प्रतिवादी संख्या 3, सेनानायक 26वीं वाहिनी, पीएसी, गोरखपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15.12.2025, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को निलंबन के अधीन रखा गया था, रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ख). इस आदेश का पारित होना प्रतिवादी को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा।

13. तदनुसार, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

14. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

13 मार्च, 2026

आशू

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।